FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु.... मुकाम ....

....जोधाराम / वगैरा.... बनाम ....गोरधन राम वगैरा....

किस्म मुकदमा ....रा० आवेदन 111, 128 RLR.... नं ....25/22.... सन् ....2022....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....हरीराम चौधरी.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 128 RLR.... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....08/02/2022.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
08/02/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 22/02/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/02/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 19/04/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिसकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 12/05/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th></tr>
<tr><td>12/05/2022</td><td>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5:45 Pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 27/06/2022 को पेश हो।
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</td></tr>
<tr><td>27/06/2022</td><td>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अंतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर</td></tr>
</table>

अहलकार
हुक्म की
में जारी हुआ

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1140 दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जोधाराम पुत्र हरजीराम वगैरा 04, जाति जाट, निवासी कोसरिया, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. गोरधनराम पुत्र गुलाराम वगैरा 11, जाति जाट, निवासी लापला, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 25 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लापला, पटवार मण्डल – कोसरिया, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 764 / 565, 763 / 565 रकबा क्रमशः 0.9951, 3.7214 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1141-45 दिनांक : 27/06/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जोधाराम पुत्र हरजीराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री गोरधनराम पुत्र गुलाराम वगैरा 11,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर